

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

कै. बा. १. ६३

बनाम : गुलाब बाई

मुकदमा : श्रीमती पत्र

नं० 121

सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>है। अप्रार्थी सं. 04 से 07 वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। वकील अप्रार्थी को ₹ 200/- कोर्ट पर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाता है। वकील प्राथी द्वारा अप्रार्थी सं. 01 के नोटिस भरकर पेशा किया जो जारी किया गये। पत्रावली वास्ते कायम मुकाम व जवाब अप्रार्थी सं. 04 से 07 एवं वदन्तजार नोटिस तामील अप्रार्थी सं. 01 दिनांक 17/10/2024 को पेश है। S.D.O</p>	
17/10/2024	<p>पत्रावली पेशा हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्राथी द्वारा अप्रार्थी सं. 09 व 11 के कायम मुकाम हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। अप्रार्थी सं. 04 से 07 वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। वकील अप्रार्थी को ₹ 250/- कोर्ट पर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाता है। अप्रार्थी सं. 01 की तामील अप्रार्थी। पत्रावली वास्ते कायम मुकाम व जवाब अप्रार्थी सं. 04 से 07 एवं वदन्तजार नोटिस तामील अप्रार्थी सं. 01 दिनांक 19/11/2024 को पेश है। S.D.O</p>	
19/11/2024	<p>पत्रावली पेशा हुई। वकील प्राथी उपस्थित। वकील प्राथी को अप्रार्थी सं. 01 के नोटिस प्रीसेस प्रस्तुत करने के पूर्व में दिनांक 10.01.2023 से अब तक कुल 28 अवसर दिये जाते के बावजूद भी वकील प्राथी नोटिस प्रीसेस प्रस्तुत करने में असफल रहे। इससे प्रतीत होता है कि S.D.O</p>	

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी


मुकाम : रावतभाटा

वकील शर्मा वगैरह

बनाम : गुलाब वार्ड वगैरह

किसम मुकदमा : ५१९/निा - ५७

नं० : १२१/२०२२

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>वकील प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र को चलाया नहीं जा रहा है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर CPC के (O)9(A)5 के अन्तर्गत वकील प्रार्थी द्वारा नये समन लाने में असफल रहने से खारिज किया जाता है। पत्रावली के संख्या क्रमांक लेकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) </p>